



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102021-230502
CG-DL-E-18102021-230502

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313]
No. 313]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 18, 2021/आश्विन 26, 1943
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 18, 2021/ASVINA 26, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2021

सं. 29 / 2015-2020

विषय : अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार हेतु उदगम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करने हेतु परिशिष्ट 2ड. के अंतर्गत सूचीबद्ध करना।

फा. सं. 01 / 93 / 180 / 27 / एएम-19 / पीसी-II(ख) / ई-27749.—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार वर्तमान में परिशिष्ट 2ड. के अंतर्गत सूचीबद्ध अभिकरणों को अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार हेतु उदगम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) (सीओओ-एनपी) जारी करने के लिए प्राधिकृत करते हैं। तदनुसार, वर्तमान में परिशिष्ट 2ड. के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी अभिकरण अब अखिल भारतीय आधार पर उदगम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, परिशिष्ट 2ड. के अंतर्गत सूचीबद्ध करने हेतु किसी नए आवेदन पर अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार हेतु विचार किया जाएगा और पहले से सूचीबद्ध अभिकरणों के लिए शाखा कार्यालयों की सूचीबद्धता हेतु पृथक आवेदनों की आवश्यकता नहीं होगी।

2. परिशिष्ट 2ड. के अंतर्गत यथा अधिसूचित सभी अभिकरणों को सामान्य डिजिटल प्लेटफार्म (URL: <https://coo.dgft.gov.in>) के माध्यम से उदगम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) के अधिदिष्ट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग का ऑन-बोर्डिंग कार्य अधिक से अधिक 31 अक्टूबर 2021 तक सुनिश्चित करना अपेक्षित है जिसके न होने पर अभिकरणों को परिशिष्ट 2ड. से डी-नोटिफाई किया जा सकता है।

3. उदगम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करने हेतु आवेदन आवेदक के पंजीकृत/मुख्य कार्यालय/शाखा कार्यालय/फैक्ट्री द्वारा भारत में परिशिष्ट 2ड. के अंतर्गत पंजीकृत किसी अभिकरण को किया जा सकता है।

4. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

विदेश व्यापार नीति 2015-20 के परिशिष्ट 2ड. के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी अभिकरण, जिन्होंने उद्गम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) को इलेक्ट्रॉनिक कॉमन डिजिटल प्लेटफार्म पर ऑन-बोर्डिंग की है, दिनांक 01.11.2021 से अखिल भारतीय आधार पर उद्गम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी कर सकते हैं।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 18th October, 2021

No. 29 /2015-2020

Subject : Enlistment under Appendix 2E to issue Certificate of Origin (Non-Preferential) for All India Jurisdiction.

F. No. 01/93/180/27/AM-19/PC.II(B)/e-27749.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Directorate General of Foreign Trade authorizes agencies currently enlisted under Appendix 2E to issue Certificate of Origin (Non-Preferential) (CoO NP) for all India jurisdiction. Accordingly, all currently enlisted agencies under Appendix 2E can now issue CoO (NP) on an all India basis. Further, any new application for enlistment under Appendix 2E will be considered for all India Jurisdiction and separate applications for enlistment of branch offices for already enlisted agencies will not be required.

2. All Agencies as notified under Appendix-2E are required to ensure the on-boarding exercise for mandatory electronic filing of CoO (NP) through the Common Digital Platform (URL: <https://coo.dgft.gov.in>) latest by 31st October 2021 failing which the agencies may be de-notified from Appendix 2E.

3. An application for grant of CoO (NP) may be made by the Registered/Head Office/Branch Office/Factory of the applicant to any agency registered under Appendix 2E in India.

4. Effect of this Public Notice:

All agencies enlisted under Appendix 2E of FTP-2015-20, who have on-boarded on Common Digital Platform for electronic Certificate of Origin (Non - Preferential), can issue CoO (NP) **on all India basis w.e.f. 01.11.2021.**

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.